मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांक: 30.12.2024

थाना कछवां व ए.एन.टी.एफ. प्रयागराज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अनुमानित कीमत ₹ 50 लाख के गांजा व तस्करी में प्रयुक्त वाहन (मारुति अर्टिगा कार) के साथ गांजा तस्कर गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ , अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में थाना कछवां पुलिस व आपरेशनल यूनिट ए.एन.टी.एफ. प्रयागराज की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 30.12.2024 थाना कछवां पुलिस व आपरेशनल यूनिट ए.एन.टी.एफ. प्रयागराज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार थाना कछवां क्षेत्रांतर्गत भैसा चौकी के पास से गाँजा तस्कर प्रभात सिंह उर्फ वीरू सिंह पुत्र स्व0 अवधनारायण सिंह निवासी गोधना थाना कछवां जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के मारुति अर्टिगा कार के पीछले सीट व डिग्गी से 04 बोरे में कुल 100 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कछवां पर मु0अ0सं0-155/2024 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है। गांजा परिवहन में प्रयुक्त मारुति अर्टिगा कार को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अपने अन्य साथियों के साथ उड़ीसा/बिहार से मांग के अनुसार गांजा लाकर आसपास के जनपदों में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई की जाती है तथा गांजा बिक्री के पैसे को आपस में बांटकर भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

1. प्रभात सिंह उर्फ वीरू सिंह पुत्र स्व0 अवधनारायण सिंह निवासी गोधना थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

100 किलो ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत 50 लाख रूपये)
गांजा परिवहन में प्रयुक्त मारुति अर्टिगा कार संख्या UP 63 AX 8658

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0-155/2024 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कछवां जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0-119/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कछवां जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

थाना कछवां क्षेत्रांतर्गत भैसा पुलिस चौकी से 200 मीटर आगे मेन रोड़ से, दिनांकः 30.12.2024 को समय करीब 02.20 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —
प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार राय थाना कछवां मीरजापुर मय पुलिस टीम।
उप निरीक्षक सत्येन्द्र प्रधान आपरेशनल यूनिट ए.एन.टी.एफ. प्रयागराज मय पुलिस टीम।